सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 01, मंगलवार, *शाके* 1945-फरवरी 20, 2024 *Phalguna 01 Tuesday , Saka 1945- February 20 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 30, 2024

संख्या प. 2(46)वन/2023 :-चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled) है।

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगाा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3) की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेंट अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुकित करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषण करती है कि उक्त रक्षित वन को वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम का नाम	विवरण	
						खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीरासर	रावतसर	हनुमानगढ़	उत्तर - कृषि भूमि (ख.न. 506/128, 498/128, 481/123) दक्षिण -कृषि भूमि (ख.न. 117, 118, 119, 285, 280, 284) पूर्व - कृषि भूमि (ख.न. 124, 481/123,500/202, 500/204/2, 280) पश्चिम - कृषि भूमि (सरहद उदासर छोटा)	सीरासर	123	107.2720
					योग	किता-1	107.2720

वीरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक,
हनुमानगढ़।

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia Tortalis	ईजराईल बबूल
2	Acacia arabica	देशी बबूल
3	Zizyphus jujuba lam	बेर
4	Prosopis Cineraria	खेजड़ी
5	Zizyphus Xyloptyra Wild	कठबेर
6	Zizyphus nummularia	झड बेर
7	Capparis Decidna	केर
8	Aerua Tometosa	सफेद/काली बुई
9	Calotropis Procera	आक
10	Cenchrus Cilliaris	धामण घास
11	Leptadenia pyrotechnica	खीप
12	Saccharum Munja	मूजा घास

रणवीर सिंह,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
रावतसर।

वीरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक,
हनुमानगढ़।

परिशिष्ठ ''क''

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड - सीरासर

नाम रेंज - रावतसर

नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण गै. मु. है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि गौचर भूमि मरूवनारोपण एंव चारागाह विभाग हेतु आरक्षित दर्ज है तथा मौके पर वन विभाग द्वारा आंशिक भाग पर वन विकास कार्य करवाया गया है इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
3. वर्तमान में आंशिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।
4. भूमि पर वृक्षों, झाडियों व घास का घनत्व 70 प्रतिशत है। इस वन खण्ड में आंशिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों की भूमि है तथा चारों और सीमाओं का विस्तृत उल्लेख प्रथम अनुसूची के कॉलम संख्या 5 में अंकित कर दिया गया है।
6. वन खण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगत किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त गोचर भूमि मरूवनारोपण एवं चारागाह विकास हेतु आरक्षित भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।
9. खसरा नम्बर 123 गोचर भूमि मरूवनारोपण एवं चारागाह विकास हेतु आरक्षित की गई थी खसरा नम्बर 123 गोचर भूमि के बीच में खसरा नम्बर 120, 121 गैर मुमकीन चैब एवं 122 राजकीय विद्यालय के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 120, 121, 122 की भूमि वन विभाग को आवंटित/आरक्षित नही होने के कारण इन्हें विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया गया है।

रणवीर सिंह,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
रावतसर।

वीरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक,
हनुमानगढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।